जिला जनसम्पर्क कार्यालय, खूँटी

दिनांक 09.04.2018

प्रेस विज्ञप्ति

आज समाहरणालय सभागार में उपायुक्त, खूंटी श्री सूरज कुमार की अध्यक्षता में विधि–व्यवस्था से संबंधित बैठक हुई। जिसमें नगर निकाय चुनाव 2018, खूंटी जिले में विधि–व्यवस्था संधारण, उग्रवादी हिंसा में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजा एवं नियोजन आदि पर समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने कहा कि चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं जिसमें सुरक्षा व्यवस्था एवं चुनाव को प्राथमिकता देते हुए विधि–व्यवस्था हेतु कदम उठाए जाएंगे। चुनाव आचार संहिता को कड़ाई से लागू करने का निदेश भी उन्होंने पदाधिकारियों को दिया। साथ ही कहा कि वाहन चेकिंग, उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार की जांच, अनावश्यक जमावड़ा एवं चेकिंग स्थलों पर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति किया जाय तथा नगर पंचायत क्षेत्र में गश्ती बढ़ाया जाय। संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील बूथों पर विशेष निगरानी रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कंट्रोल रूम को चौबीसों घंटे एक्टिव रखें। बैठक में शस्त्र अनुज्ञप्ति, शस्त्र का भौतिक सत्यापन, लंबित वारंट पर कार्रवाई, निर्वाचन अपराधों पर कार्रवाई करने का निदेश संबंधित पदाधिकारियों को दिया। उपायुक्त ने सिविल सर्जन खूंटी को कहा कि जिले में संचालित एम्बुलेंसों की लॉगबुक जांच करने तथा मतदान के दिन कलस्टर के अनुसार पूरी चिकित्सक टीम के साथ तैनात करने को कहा। उग्रवादी हिंसा में मृत व्यक्तियों के मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु उन्होंने टीम गठन करने को कहा। उन्होंने पदाधिकारियों को निदेश दिया कि जिस स्तर पर मामले लंबित हैं उसका चेकलिस्ट बनाकर मामलों का निष्पादन किया जाय एवं सभी अंचल अधिकारी को मामलों को अपने स्तर से भी देखने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक नोडल पदाधिकारी बनाया जाय जो केवल उग्रवादी हिंसा में मृत व्यक्तियों के मुआवजा एवं नियोजन के मामलों को जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर निष्पादन करने में सहयोग करे ताकि मामलों को शीघ निष्पादित किया जा सके। उपायुक्त ने हाट–बाजारों में अवैध शराब एवं हंड़िया बिक्री एवं जुआ खेलने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने तथा अवैध शराब एवं हंड़िया बिक्री एवं जुआ खेलने पर पकड़े गए लोगों के विरूद्ध कार्रवाई करने निदेश दिया। इसके लिए उन्होंने उत्पाद विभाग एवं सभी थाना प्रभारियों को प्रचार–प्रसार करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि जिले में अवैध अफीम की खेती के विरूद्ध व्यापक जांच कर कड़ी कार्रवाई करने को कहा। जिला में हो रहे अवैध खनन एवं लकड़ी माफियाओं पर नकेल कसने हेतु निदेश दिए गए। शहरी क्षेत्र में ट्रेफिक कंट्रोल, अतिक्रमण, पार्किंग व्यवस्था, सब्जी बाजार का व्यवस्थित करना आदि पर विमर्श किया गया। उपायुक्त ने सोशल मीडिया पर निगरानी रखते हुए असामाजिक तत्वों द्वारा

फलायी गई अफवाह पर भी कार्रवाई करने का निदेश दिया। इससे पूर्व अनुमण्डल पदाधिकारी ने नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता उल्लंघन पर दण्डात्मक प्रावधानों के साथ अवैध शराब बिक्री, अवैध जुआ खेल, अफीम की खेती से संबंधित दण्डात्मक धाराओं को प्रजेंटेंशन के माध्यम से विस्तार से बताया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त खूंटी, सिविल सर्जन खूंटी, अपर समाहर्ता खूंटी, निदेशक डी.आर.डी.ए., अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी तोरपा, मुख्यालय पुलिस उपाधीक्षक, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी आदि उपस्थित थे।